बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01 / बजट–यो०–702 / 2026– 1694 /पटना, दिनांक– 16 अक्टूबर 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

विशेष ईख पदाधिकारी, पटना / गोपालगंज।

ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर / गोपालगंज / दरभंगा / बेतिया अंचल, बेतिया / रामनगर अंचल, बेतिया / पूर्णिया / मोतिहारी / मुजफ्फरपुर / सीवान।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–2027 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए स्वीकृत कुल 4,88,66,800.00 (चार करोड़ अठासी लाख छियासठ हजार आठ सौ) रूपये के विरूद्ध 32 प्रतिशत अर्थात् कुल मो० 1,53,17,376.00 (एक करोड़ तिरपन लाख सतरह हजार तीन सौ छिहत्तर) रूपये मात्र का आंवटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–939 / ई०का० दिनांक–15.05.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–2027 में चतुर्थ कृषि रोड़ मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए कुल 4,88,66,800.00 (चार करोड़ अठासी लाख छियासठ हजार आठ सौ) रूपये मात्र की योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्यवन हेतु स्वीकृत राशि कुल कुल 4,88,66,800.00 रूपये के विरूद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–314 / वि० दिनांक–01.04.2026 के आलोक में 32 प्रतिशत यानि कुल मो० 1,53,17,376.00 (एक करोड़ तिरपन लाख सतरह हजार तीन सौ छिहत्तर) रूपये का आवंटन किया जा रहा है तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न सूची **परिशिष्ट–I**) के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटित राशि की निकासी हेतु बजट शीर्षवार विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

(राशि रूपये में)

बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि (32 प्रतिशत)
(क) सामान्य जाति –		
मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–201–चीनी मांग संख्या–45 उप शीर्ष–0104–गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड–45–2852082010104, विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी।	3,74,79,300.00	1,19,93,376.00
मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–201–चीनी मांग संख्या–45 उप शीर्ष–0104–गुड विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड–45–2852082010104, विषय शीर्ष– 20 03 प्रशिक्षण।	20,67,000.00	6,61,440.00
मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08– उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–201–चीनी मांग संख्या– 45 उप शीर्ष–0104–गुड विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड–45–2852082010104, विषय शीर्ष–13 01 कार्यालय व्यय।	8,27,000.00	0.00
योग (क) –	**4,03,73,300.00**	**1,26,54,816.00**

16/10/2026

(ख) अनुसूचित जाति –		
मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08– उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–45, उप शीर्ष–0102–गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड–45–2852087890102, विषय शीर्ष–**33 01 सब्सिडी।**	72,24,000.00	23,11,680.00
मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08– उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–45, उप शीर्ष–0102–गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड–45–2852087890102, विषय शीर्ष– **20 03 प्रशिक्षण।**	4,00,000.00	1,28,000.00
मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08– उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–45, उप शीर्ष–0102–गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड–45–2852087890102, विषय शीर्ष–**13 01 कार्यालय व्यय।**	1,60,000.00	0.00
योग (ख) –	**77,84,000.00**	**24,39,680.00**
(ग) अनुसूचित जनजाति –		
मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–45, उप शीर्ष–0103–गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड–45–2852087960103, विषय शीर्ष–**33 01 सब्सिडी।**	6,63,500.00	2,12,320.00
मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग--उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–45, उप शीर्ष–0103–गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड–45–2852087960103, विषय शीर्ष–**20 03 प्रशिक्षण।**	33,000.00	10,560.00
मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–45, उप शीर्ष–0103–गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड–45--2852087960103, विषय शीर्ष–**13 01 कार्यालय व्यय।**	13,000.00	0.00
योग (ग) –	**7,09,500.00**	**2,22,880.00**
योग –(क) + (ख) + (ग) =	**4,88,66,800.00**	**1,53,17,376.00**

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–314/वि० दिनांक–01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

4. स्वीकृत्यादेश संख्या–939/ई०का० दिनांक–15.05.2026 में निहित शर्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

क्रमशः.....3

15/05/2026

5. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

16/10/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–702 / 2026–16 बजट /पटना, दिनांक– 16 अक्टुबर 2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / समस्तीपुर / गोपालगंज / दरभंगा / बेतिया (प० चम्पारण) / पूर्णिया / मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) / मुजफ्फरपुर / सीवान / पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–702 / 2026–16 बजट /पटना, दिनांक– 16 अक्टुबर 2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर / विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / रेगुलेटरी शाखा / लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना / सभी सहायक निदेशक, ईख विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/10/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–702 / 2026–16 बजट /पटना, दिनांक– 16 अक्टुबर 2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/10/2026

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत् गुड़ इकाइयों की स्थापना पर वित्तीय वर्ष 2026–27 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार आवंटित राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र0सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में) (32 प्रतिशत) गुड़ विकास कार्यक्रम विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी				स्वीकृत राशि (रूपये में) (32 प्रतिशत) गुड़ विकास कार्यक्रम विषय शीर्ष 20 03 प्रशिक्षण				कुल योग	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य 45–2852062010104	अनु0 जाति 45–2852067990102	अनु0 जन जाति 45–2852067990103	योग	सामान्य 45–2852062010104	अनु0 जाति 45–2852067990102	अनु0 जन जाति 45–2852067990103	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7
1	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	768000.00	0.00	0.00	**768000.00**	661440.00	128000.00	10560.00	**800000.00**	**1568000.00**	समस्तीपुर
2	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	2500000.00	96000.00	0.00	**2596000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**2596000.00**	गोपालगंज
3	ईख पदाधिकारी, दरभंगा	2256000.00	432000.00	96000.00	**2784000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**2784000.00**	दरभंगा
4	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया	432000.00	0.00	0.00	**432000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**432000.00**	बेतिया, प॰ चम्पारण
5	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल	432000.00	0.00	0.00	**432000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**432000.00**	बेतिया, प॰ चम्पारण
6	ईख पदाधिकारी, पूर्णिया	1200000.00	103680.00	0.00	**1303680.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**1303680.00**	पूर्णिया
7	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	672000.00	240000.00	0.00	**912000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**912000.00**	मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण
8	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	1296000.00	288000.00	0.00	**1584000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**1584000.00**	मुजफ्फरपुर
9	ईख पदाधिकारी, सीवान	432000.00	96000.00	0.00	**528000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**528000.00**	सीवान
10	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	816000.00	336000.00	116320.00	**1268320.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**1268320.00**	पटना
11	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	432000.00	0.00	0.00	**432000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**432000.00**	गोपालगंज
12	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	757376.00	720000.00	0.00	**1477376.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**1477376.00**	विकास भवन
	योग–	**11993376.00**	**2311680.00**	**212320.00**	**14517376.00**	**661440.00**	**128000.00**	**10560.00**	**800000.00**	**15317376.00**	

16/1/2026

ईखायुक्त, बिहार।